— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी सीताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा में खेत खसरा नम्बर 1482/366 रकबा 2.4281 हैक्टेयर पूरा व मौजा ऐवाद के खसरा नम्बर 742/520 रकबा 1.6187 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी खेताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऐवाद में खेत खसरा नम्बर 448/1 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से रकबा 2.0234 हैक्टेयर पश्चिमि भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 पेमाराम के हक बंट कब्जा कश्त में मौजा सोनेली के खसरा नम्बर 194/1 रकबा 1.4569 हैक्टेयर व मौजा ऐवाद के खसरा नम्बर 448/1 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से रकबा 2.5899 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 परसाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऐवाद के खसरा नम्बर 448/1 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से रकबा 0.2429 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. प्रतिवादी 3 व 4 क्रमशः कमला व इन्द्रा के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
6. उक्त खसरान के बैंक के रहन कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।
7. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेागा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 28/06/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner